


II/निग/सीधी/2018/01484

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)



- 1- कृष्ण पाल सिंह तनय स्व. कुंजबली सिंह
 - 2- मोहन सिंह तनय स्व. कुंजबली सिंह
 - 3- पुष्पेन्द्र सिंह तनय स्व. कुंजबली सिंह
- तीनों निवासी ग्राम मवई तहसील चुरहट जिला सीधी म.प्र.

.....निगरानीकर्तागण

बनाम्

- 1- वीरेश कुमार सिंह तनय स्व. साधूलाल सिंह पेशा नौकरी निवासी ग्राम मवई तह. चुरहट जिला सीधी म.प्र.
- 2- श्रीमती सुभद्रा सिंह पुत्री स्व. कुंजबली सिंह पत्नी श्री अर्जुन सिंह निवासी ग्राम मड़वा तह. लालगंज जिला मिर्जापुर उ.प्र.
- 3- श्रीमती सविता सिंह पुत्री स्व. कुंजबली सिंह पत्नी श्री शिवगोपाल सिंह निवासी ग्राम गोलुआ तह. रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.
- 4- श्रीमती निशा सिंह पुत्री स्व. कुंजबली सिंह पत्नी सुखेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भटिंगवा तह. रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.
- 5- विद्या पुत्री स्व. कुंजबली सिंह पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह (मृतक) द्वारा वारिसान -
 - क- रिन्कु सिंह तनय श्री लक्ष्मण सिंह
 - ख- मोनू सिंह तनया श्री लक्ष्मण सिंह

दोनों निवासी ग्राम बधांव तह. नागौद जिला सतना म.प्र.

6- शासन म.प्र.

श्रीधर लाल प्रताप सिंह
बाप देवा 27.2.18
[Signature]

मध्य प्रदेश राजस्व मंडल
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी आदेश विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त कलेक्टर सीधी म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्र. 444/निगरानी/2011-12 वीरेश कुमार सिंह विरुद्ध कृष्णपाल सिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 22.01.2018

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. सं. 1959

[Signature]



[Signature]
27/2/18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक. II / निग0 / सीधी / 2018 / 01434

जिला सीधी

कृष्ण पाल सिंह / वीरेश कुमार सिंह वगैरः

| (1) | (2) |
|------------|--|
| 18.12.18 - | <p>1. आवेदक की ओर से श्री लाल प्रताप सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 444 / निगरानी / 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22.01.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p> |